संख्या- 69/यु0क0/2002-51/युवा/2002

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल,देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनॉक : 12 सितम्बर, 2002

विषय :- युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-334/पचास-यु0क0 /94-95/पीवीडी-94 दिनॉक 04 मई, 1994 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूववर्ती राज्य द्वारा ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण हेतु 03 एकड़ नि:शुल्क भूमि आवश्यक की गई थी। ग्रामीण स्टेडियमों के प्रस्ताव तैयार करते समय यह कठिनाई ~~भी~~ सामने आयी कि विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 03 एकड़ भूमि एकसाथ उपलब्ध हो पाना अत्यंत कठिन है। राज्य का अधिकतम क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है एवं मैदानी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुविधाओं हेतु भूमि अत्यंत कम है। अत: राज्य की परिस्थितियों को देखते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की इस सीमा को न्यूनतम् 01 एकड़ नि:शुल्क तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम् 2.5 एकड़ नि:शुल्क निर्धारित किया जाय।

2- अत: अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है।

3- प्रदेश में कतिपय जनपदों यथा-देहरादून, नैनीताल एवं पौड़ी में पर्वतीय एवं मैदानी दोनो तरह के क्षेत्र है। अत: ऐसे जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित जिले के जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं जिलाधिकारी यह प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित ग्रामीण स्टेडियम पर्वतीय अथवा मैदानी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सभी सम्बन्धित पक्षों को सूचित/निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।